भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2105
09.12.2024 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

2105. श्री दीपक अधिकारी (देव) :
श्री अरुण भारती :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में वनों की कटाई की दर के संबंध में हाल ही में कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने परम्परागत वनवासियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी के लिए कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा जलवायु लक्ष्यों के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए, विशेष रूप से कोयले पर इसकी निर्भरता और इसकी बढ़ती आबादी की जरूरतों को देखते हुए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं का वित्त-पोषण किस प्रकार करने का इरादा रखती है और इसके परिवर्तन में अंतरराष्ट्रीय भागीदारों द्वारा निभाई जाने वाली अपेक्षित भूमिका का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून जो कि इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है, प्रत्येक दो वर्षों में वन क्षेत्र का आकलन करता है। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021 के अनुसार, देश का कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो पिछले आकलन यानी आईएसएफआर 2019 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की समग्र वृद्धि दर्शाता है। देश के वनावरण में किसी कमी का रूझान नहीं देखा गया है। वनावरण का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। वनावरण में हुई वृद्धि में बेहतर संरक्षण उपायों, अवक्रमित वन भूमि की बहाली, वनीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और वृक्षारोपण अभियानों का योगदान माना जा सकता है। कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वनावरण में हुई कमी प्राकृतिक आपदाओं, मानवजनित दबाव, झूम कृषि आदि जैसे कारणों से हो सकती है।

(ख) मंत्रालय ने पारंपरिक वनवासियों पर होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया है।

(ग) और (घ) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में सभी जलवायु संबंधी कार्य-कलापों के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है और इसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा की बचत में वृद्धि, संधारणीय पर्यावास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, हरित भारत, संधारणीय कृषि, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक ज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित मिशन शामिल हैं। इन सभी मिशनों को उनके संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्थागत रूप दिया जाता है और संचालित किया जाता है, जिसमें उनके वार्षिक बजटीय आवंटनों के एक हिस्से के रूप में उनकी संबंधित योजनाओं के तहत धन का आवंटन भी शामिल है।

सरकार ने कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। अक्टूबर 2024 तक, बिजली उत्पादन की संस्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52 प्रतिशत है। इसलिए, भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

विभिन्न क्षेत्रों में भारत के जलवायु संबंधी कार्य-कलाप इसके विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में अंतर्निहित हैं। इसके अलावा, भारत अपनी जलवायु कार्रवाई के वित्तपोषण के लिए यूएनएफसीसीसी और विभिन्न बहुपक्षीय संस्थानों के वित्तीय तंत्र से सहयोग प्राप्त करता है। हालाँकि, अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से वित्तीय सहायता बहुत सीमित मात्रा में प्राप्त हुई है।

*****

अनुलग्नक

'जलवायु परिवर्तन के प्रभाव' के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2105 के भाग (क) उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आईएसएफआर 2021 के अनुसार वनावरण का राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश-वार विवरण

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

क्र.सं.	**राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश**	**भौगोलिक क्षेत्रफल (जीए)**	**कुल वनावरण**	**आईएसएफआर 2019 के अनुसार वनावरण में परिवर्तन**
1	आंध्र प्रदेश	1,62,968	29,784	647
2	अरूणाचल प्रदेश	83,743	66,431	-257
3	असम	78,438	28,312	-15
4	बिहार	94,163	7,381	75
5	छत्तीसगढ	1,35,192	55,717	106
6	दिल्ली	1,483	195.00	-0.44
7	गोवा	3,702	2,244	7
8	गुजरात	1,96,244	14,926	69
9	हरियाणा	44,212	1,603	1
10	हिमाचल प्रदेश	55,673	15,443	9
11	झारखंड	79,716	23,721	110
12	कर्नाटक	1,91,791	38,730	155
13	केरल	38,852	21,253	109
14	मध्य प्रदेश	3,08,252	77,493	11
15	महाराष्ट्र	3,07,713	50,798	20
16	मणिपुर	22,327	16,598	-249
17	मेघालय	22,429	17,046	-73
18	मिजोरम	21,081	17,820	-186
19	नगालैंड	16,579	12,251	-235
20	ओडिशा	1,55,707	52,156	537
21	पंजाब	50,362	1,847	-2
22	राजस्थान	3,42,239	16,655	25
23	सिक्किम	7,096	3,341	-1
24	तामिल तमिलनाडु	1,30,060	26,419	55
25	तेलंगाना	1,12,077	21,214	632
26	त्रिपुरा	10,486	7,722	-4
27	उत्तर प्रदेश	2,40,928	14,818	12
28	उत्तराखंड	53,483	24,305	2
29	पश्चिम बंगाल	88,752	16,832	-70
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,249	6,744	1
31	चंडीगढ़	114	22.88	0.85
32	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	602	227.75	0.10
33	जम्मू और कश्मीर (आकार फ़ाइल क्षेत्र (54,624))	2,22,236	21,387	29
34	लद्दाख (आकार फ़ाइल क्षेत्र (1,68,055))		2,272	18
35	लक्षद्वीप	30	27.10	0.00
36	पुदुचेरी	490	53.30	0.89
कुल		**32,87,469**	**7,13,789**	**1,540**

***